

लोक भवन में गरबा महोत्सव का आयोजन राज्यपाल ने की मां दुर्गा की आरती

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल: लोक भवन में रविवार को नवरात्रि के अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मां दुर्गा की आरती कर महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

गरबा महोत्सव में भारतीय लोक संस्कृति, सामूहिक सहभागिता और सामाजिक समरसता का सुंदर संगम देखने को मिला। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, अखिल भारतीय गुजराती समाज के अध्यक्ष संजय पटेल, लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य नागरिक सपरिवार उपस्थित रहे।

सांस्कृतिक संध्या में भक्ति, आस्था और उत्प्लास का माहौल रहा। सुमधुर संगीत और पारंपरिक गरबा की लय पर बच्चों, लोक भवन परिसर के



निवासियों, भोपाल गुजराती समाज के उत्साह के साथ सहभागिता की। रंग-मनमोहक प्रस्तुतियों ने आयोजन को सदस्यों तथा अन्य आमंत्रित अतिथियों ने बिरंगे पारंपरिक परिधानों और गरबा की यादगार बना दिया।

सेवा भारती और लायंस क्लब भोपाल साउथ का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संपन्न



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सेवा भारती भोपाल महानगर के स्वास्थ्य आयाम और लायंस क्लब भोपाल साउथ के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सेवा भारती वनवासी बालिका छात्रावास, अरेरा कॉलोनी में निःशुल्क नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आरके गुप्ता और जनरल फिजिशियन डॉ. नालोक बनर्जी ने मरीजों का परीक्षण किया। कुल 63 लोगों की आंखों की जांच की गई, जबकि 48 लोगों के हीमोग्लोबिन और 41 लोगों के ब्लड शुगर की जांच की गई। जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। इसके अलावा

10 लोगों को दूर की दृष्टि के चश्मे बनवाकर दिए जाएंगे। सेवा भारती महानगर के मीडिया प्रभारी भगवान दास ढालिया ने कहा कि संस्था जरूरतमंदों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिविर में संस्था के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

नवरात्रि पर भरतनाट्यम से की मां दुर्गा की आराधना



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नवरात्रि के प्रथम दिन केनाल किशिप परिसर में नृत्यांजलि भरतनाट्यम नृत्य अकादमी की 5 से 16 वर्ष तक की शिष्याओं ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए भावपूर्ण भरतनाट्यम प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम का निदेशन नृत्य गुरु रूपल चौरे गीते ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भैरवी

वंदना से हुई, जिसे 5 से 7 वर्ष की शिष्याओं ने प्रस्तुत किया। इसमें देवी के उग्र और करुणामय स्वरूपों का वर्णन करते हुए उनकी शक्ति, साहस और कृपा का गुणगान किया गया। दूसरी प्रस्तुति 'अय गिरिनंदिनी' 8 से 10 वर्ष की शिष्याओं ने दी। इसमें देवी को पर्वतराज हिमालय की पुत्री, सिंहवाहिनी और

विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल डायरेक्टर बने पर गोपलानी का सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल डायरेक्टर मनोनीत होने पर श्याम सुंदर गोपलानी का बैंकर्स क्लब की ओर से अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिंधी और गैर-सिंधी समाज की अनेक संस्थाओं ने भाग लिया। इनमें सिंधी पंचायत (अरेरा कॉलोनी और मिनाल), भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स, मैरिज गार्डन ओनर्स एसोसिएशन, सिंधु भवन ट्रस्ट, लायंस क्लब, सीए एसोसिएशन और सिंधी सेंट्रल पंचायत भोपाल शामिल रहे। बैंकर्स क्लब के सदस्यों ने मंच पर श्याम सुंदर गोपलानी और श्रीमती गोपलानी को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्लब के गायक सदस्यों और अन्य गायकों ने मधुर गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर परमानंद पेंसवानी, गुलाब जैतानी, मेघराज आसूदानी और नरेश गोपालदास वाटवानी उपस्थित रहे।

कोलार में 16वें वर्ष सजेगा मां वैष्णो देवी का दरबार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कोलार की सबसे बड़ी मातारानी की झांकी इस वर्ष भी सर्वधर्म कॉलोनी स्थित कल्पना चावला गार्डन में सजाई जाएगी। मां वैष्णो देवी उत्सव एवं जनकल्याण समिति के अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में लगातार 16वें वर्ष माता के दरबार की स्थापना की जा रही है। समिति के अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2011 से कल्पना चावला गार्डन में मातारानी की झांकी सजाई जा रही है। इस वर्ष कटरा स्थित त्रिकूट पर्वत पर विराजित मां वैष्णो देवी के दरबार में बने स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति तैयार की जा रही है। इसमें पिंडी स्वरूप के साथ मां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन होंगे। गुफा में मां वैष्णो देवी विराजेंगी। झांकी में महाकाल, हनुमानजी और भैरव बाबा की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। पंडाल लगभग 40 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को



प्रतिदिन कतार में लगकर दर्शन करने होंगे। 10 हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्र में तैयार किए जा रहे

आयोजन स्थल पर बच्चों के लिए झूले भी लगाए जाएंगे, जिससे मेले जैसा माहौल रहेगा। विजयादशमी के अवसर पर समिति की ओर से 24 घंटे का विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा।

सिंधी गरबा महोत्सव 15 से, 1500 से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: नवरात्रि के अवसर पर सिंधी मेला समिति के गरबा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लालघाटी स्थित सुंदरवन गार्डन में 15 से 18 अक्टूबर तक गरबा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें 1500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे।

समिति के संरक्षक भगवानदास सबनानी ने कहा कि सिंधी गरबा महोत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह मंच एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का माध्यम है। इसमें 1500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष मनीष दर्यानी ने बताया कि 14 अक्टूबर को सुंदरवन गार्डन में अंतिम रिवर्सल होगी। इसके बाद 15, 16, 17 और 18 अक्टूबर को मुख्य गरबा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक राम आसुदानी ने बताया कि पिछले 26

दिनों से सिंधी गरबा कार्यशाला चल रही है। इसमें प्रतिभागी ढोल की थाप और गरबा संगीत पर अलग-अलग नृत्य मुद्राएं सीख रहे हैं। इस वर्ष प्रतिभागियों और गरबा प्रेमियों के लिए अलग-अलग मैदानों में दो रिंग तैयार किए गए हैं। महोत्सव में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा, सबसे पहले आने वाले 100 प्रतिभागियों को समिति की ओर से विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष-संयोजक लोकेश वाधवानी, सह-संयोजिका रेखा कमल, घनश्याम पंजवानी, जयपाल सचदेव, राजेंद्र मनवानी, महेश बजाज, कपिल भाटिया, सुनील मंगवानी, रितेश भोजवानी, सीमा सबनानी, भावना जगवानी और सिया आसुदानी सहित समाज के गणमान्य लोग तथा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहेंगी।

भोपाल के तालाब के संरक्षण और बैरागढ़ को विशेष दर्जा देने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: मास्टर प्लान के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) सहित राजधानी के बुद्धिजीवियों ने नगर विकास मंच के बैनर तले सिंगीली आयोजित की। इसमें कारोबारियों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों ने भाग लिया। सिंगोली के संयोजक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर बिहारीलाल लोकावनी थे, जबकि मुख्य वक्ता अभिनेता एवं टीएंडसीपी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी राजीव वर्मा थे। तालाब के संरक्षण पर चिंता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजीव वर्मा ने सवाल उठाया कि वह तालाब कहाँ गया, जिसके नाम पर भोपाल नगर बसाया गया

था। उन्होंने तालाब के ऐतिहासिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए इसके घटते स्वरूप और संरक्षण की अनदेखी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तालाब के चारों ओर बेहतर सड़क की जरूरत है। इससे उसकी सीमाओं की रक्षा के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अतिक्रमण रोककर तालाब को हर हाल में बचाने पर जोर दिया। वर्मा ने स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान का प्रस्तावित प्रारूप अंतिम नहीं है। इसे नागरिकों के सुझाव और आवश्यक सुधार के लिए सार्वजनिक किया गया है। हालाँकि, उन्होंने प्रारूप में कुछ प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के कथित प्रयासों पर भी चिंता जताई।



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय और विधायक भगवानदास सबनानी की उपस्थिति में रविवार को टीटी नगर दशहरा मैदान में भोपाल उत्सव मेले के आयोजन स्थल का भूमिपूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष आरती अनेजा, भोपाल उत्सव मेला आयोजन समिति के सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यालय थाना प्रभारी थाना निशातपुरा नगरीय पुलिस भोपाल
क्र.था.प्र./753 / अप. क्र.716/26
जाहिर सूचना
दिनांक 29/09/26



सर्व साधारण सो सूचित किया जाता है कि थाना निशातपुरा जिला भोपाल (म.प्र.) के दिनांक 10/08/26 को अप. क्रमांक 716/26 धारा 137(2) बी.एन.एस. मे अपहर्ता बालिका पूजा मेहरा उम्र 17 साल नि. आवास विकास कालोनी ईरानी डेरा के पास करोद भोपाल हुलिया रंग मेहुँआ, कद 05 फीट, लाल और काले रंग की फाक एवं काले रंग की लेगी पहने है, पैरो मे चप्पल व पायल पहने है। उरोक अपहर्ता/गुमशुदा के बारे कोई जानकारी प्राप्त हो तो थाना निशातपुरा भोपाल मे संपर्क करें। तथा थाना मोबाईल नंबर 7587601924, 7049106283 पर तत्काल संपर्क करें।

थाना प्रभारी
थाना निशातपुरा भोपाल

G 19870/26

कार्यालय राजस्व निरीक्षक राणिम रतनपुर सड़क तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र
राप्रक 0450 अ-12/2026-27
गाम नाम गुराडीघाट 02282007-APP-29894831
सूचना-पत्र
प्रति, 1. सुभद्रा कुमारी चौहान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आशीष मेहता पिता श्री अशोक मेहता निवासी बी-3. 502 कोलार भोपाल 2.श्री भागीरथ आ. श्री नन्नु लाल निवासी ग्राम गुराडीघाट भोपाल 3. श्री तारा सिंह आ, दरियाब सिंह प्रकाश आ, दरियाब सिंह निवासी गुराडीघाट 4, बृजेश पत्नी विजय सिंह मान, संदीप, नीलू निवासी भोपाल 5. श्री प्रदीप अग्रवाल वैवर्स प्राइवेट लिमिटेड निवासी भोपाल 6. जयंत पाटीदार, सुनील पाटीदार, राजमवल रामस्वरूप पाटीदार सत्यसाधारण को सूचनाएँ एवं अन्य पक्षीयगण
विश्व-सीमांकन किये जाने हेतु बाबत सूचना पत्र
एतद द्वारा सूचित किया जाता के कि आवेदक सुभद्रा कुमारी चौहान ग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आशीष मेहता पिता श्री अशोक मेहता निवासी बी 3 502 कोलार राठ भोपाल द्वारा ग्राम गुराडी घाट पहना मे खसरा नंबर क्रमांक 42/1/2, 41/2/2, 45/3/2,45/4/2, क्रमांक 0.4050है,0.4050है, 0.1680है,0.1680है,भूमि कुल रकबा हेक्टरभूमि का सीमांकन हेतु आवेदक पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे हारर द्वारा दिनांक 12/10/2026 को समय प्रांत:11. बजे स्थल पर किया जावेगा। पक्षीसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तु प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पक्षीसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 23/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक तहसील कोलार भोपाल
1915

कार्यालय थाना प्रभारी थाना तलैया जिला भोपाल
क्रमांक/था.प्र./तलैया/मर्ग क्रमांक 31/2026 डी-421/26
जाहिर सूचना
दिनांक 05/10/2026



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23/09/26 को हमीदिया अस्पताल भोपाल से प्राप्त सूचना पर थाना तलैया भोपाल में मर्ग क्रमांक 31/2026 धारा 194 बी.एन.एस.एस. में मृतक अज्ञात पुरुष उम्र करीबन 45 वर्ष नि. अज्ञात का कायम कर जांच में लिया गया। दिनांक 23/09/26 के दोपहर 02.03 बजे मृतक को इकट्ठाल मैदान पर फल फ्रूट का ठेले के पास अवेत अवस्था मे पड़ा था जिसे ईलाज हेतु हमीदिया अस्पताल ले जाया गया था जिसकी इलाज के दौरान 3.20 बजे मृत्यु हो गयी है। मृतक के परिजनों की तलाश के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।**मृतक का हुलिया** - रंग- साँवला, चेहरा लम्बा, कद 5 फिट 4 इंच के करीबन, बाल- बड़े एवं काले सफेद, दाढ़ी फ्रेन्च कटी बढी हुई। बदन बदन इकहरा शरीर दुबला पतला है, पहनावा - लाल कलर की टी शर्ट व स्टेली कलर का लोवर पहने है। मृतक के परिजनो के मिलने पर थाना तलैया आकर सूचित करें अथवा थाना प्रभारी तलैया के मोबाईल नं., 9479990553.-0755 2677364-24433230 एवं जाँचकर्ता प्र.आर. 2676 सतौष सिंह मो. 9424412933 को तत्काल संपर्क करें।

G-19872/26
थाना प्रभारी थाना तलैया भोपाल

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला विदिशा म.प्र.			
प्रसूप-क (नियम 4 देखिए)		विदिशा, दिनांक /09/2026	
क्रमांक 0004/अ/82/2025-26/ राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। (अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।			
(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यापालक निदेशक (बीपीआरडीपी) भारत पेटोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बीना रिफाइनरी, बीना जिला सागर	
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना रिफाइनरी बेतवा बैराज परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु	
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण	1- श्री मोतीलाल अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग, कुरवाई 2- श्री संदीप शर्मा, तहसीलदार, तहसील कुरवाई 3- श्री आयुष अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुरवाई 4- श्रीमति ममता महाराज सिंह दाम्नी, जनपद अध्यक्ष, जनपद पंचायत विकासखंड कुरवाई 5- श्रीमति वंदना बाई दाम्नी सरपंच, ग्राम पंचायत नाऊकुण्ड विकासखंड कुरवाई	
(4)	भूमि का विवरण		
(क)	जिला	विदिशा	
(ख)	तहसील	कुरवाई	
(ग)	ग्राम	दांगी कुम्हरिया	
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	3.147 है.	
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	3.147 है.	
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना रिफाइनरी बेतवा बैराज परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु	
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	3.147 है.	
(7)	क्या ग्रामसभाओं और /या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं	
(8)	सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर	
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला-विदिशा (म.प्र.)			
जी-19828/26			

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-विदिशा म.प्र.
खनिज भवन, स्वामी विवेकानन्द चौमहा, न्यू कलेक्ट्रेट काबोजिट पवन के पीछे विदिशा-464001
E-mail:- modgmvid@mp.gov.in

क्रमांक/3255 / खनिज / 2025-26
म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपत्र / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए,
!!!प्रथम सूचना !!!
यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक मेसर्स मां शारदा वेन्चर्स पार्टनर 1. श्री शुभम यादव एवं 2. श्री अरविन्द रघुश्री पता वाई नं. 19, किरी मोहल्ला, विदिशा, (म.प्र.) - 464001 द्वारा उत्खनिपत्र प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 06/10/2026 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशित दिनांक से 30 दिवस की अवधि तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपत्र / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई- खनिज पोर्टल <https://ekhანიj.mp.gov.in> पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय / निजी	खनिज का नाम	रियार्ड
विदिशा	विदिशा	पथरिया	9/1,9/2 एवं 10/2	1.695 है.	शासकीय भूमि	फस्फीलथर एवं पथर केशर मिट्टी	

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्राकशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 05 :30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। 2. यदि प्रकाशन विज्ञप्ति के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है। तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996, के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा। 3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्राकशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा। 4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। 5. निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी
(खनि शाखा) जिला - विदिशा